प्रेस नोट *जनपद संतकबीरनगर* *दिनाँक 03.09.2026*

साइबर ठगी के पीड़ितों को साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद की त्वरित कार्रवाई से मिली राहत, ₹4,31,059/- की धनराशि कराई गई वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं साइबर ठगी के पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु चलाए जा रहे क्रैक साइबर क्राइम अभियान के क्रम में साइबर सेल/साइबर हेल्प डेस्क थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई।

पुलिस टीम की त्वरित एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दो साइबर ठगी के पीड़ितों की कुल ₹4,31,059/- की धनराशि उनके बैंक खातों में सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण
01. श्री रामदरश मौर्या पुत्र विन्ध्याचल, निवासी कसैला, थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनाँक 18.07.2026 को शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीड़ित द्वारा बताया गया कि एक साइबर फ्रॉडर द्वारा स्वयं को बैंक कर्मचारी बताते हुए बैंकिंग एप में लॉगिन कराने के नाम पर उन्हें झांसे में लिया गया तथा उनके मोबाइल फोन का अनाधिकृत उपयोग कर बैंक खाते से धनराशि स्थानांतरित कर ली गई। फ्रॉडर द्वारा पीड़ित से कुल ₹3,40,800/- की धनराशि की धोखाधड़ी की गई थी। शिकायत प्राप्त होने पर साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी रविकान्त कुशवाहा द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक एवं अन्य माध्यमों से प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के परिणामस्वरूप पीड़ित की ₹2,81,059/- की धनराशि उनके बैंक खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गई।

02. श्री प्रदीप यादव पुत्र इन्द्रासन, निवासी बन्नोहिया, थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनाँक 25.03.2026 को शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीड़ित द्वारा बताया गया कि अज्ञात व्यक्ति/साइबर फ्रॉडर द्वारा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मशीन उपलब्ध कराने का झांसा देकर धोखाधड़ीपूर्वक उनके बैंक खाते से कुल ₹1,50,008.85/- की धनराशि ट्रांसफर करा ली गई थी। शिकायत प्राप्त होने पर साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी रविकान्त कुशवाहा द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक एवं अन्य माध्यमों से प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के परिणामस्वरूप पीड़ित की ₹1,50,000/- की धनराशि उनके बैंक खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गई।

जनमानस से अपील

साइबर अपराध से बचाव हेतु किसी भी अनजान कॉल, लिंक, OTP, QR कोड अथवा ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं। अपनी बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा न करें।

यदि आप साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं तो तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर आपकी धनराशि को सुरक्षित कराने का प्रयास किया जा सके।

*चोरी की बुलट को कबाड़ में बेचने वाले **02** अभियुक्त गिरफ्तार, विधि विरुद्ध कार्य करने वाला **01** बालक निरुद्ध **25,000** रुपये नकद बरामद*

लिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष महुली ***श्री दुर्गेश पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए चोरी की घटना में संलिप्त **02 अभियुक्तों एवं 01 विधि विरुद्ध कार्य करने वाले बालक** को आज दिनांक **03.09.2026** को **सिकटहा पुलिया** के पास से अभियुक्तगण को **25,000 रुपया नकद** के साथ गिरफ्तार/निरुद्ध किया गया।

***घटना का संक्षिप्त विवरण*-** दिनांक **02.09.2026** को वादी **मो0 इरफान खान पुत्र मो0 मुस्लिम खान निवासी मानपुर, थाना महुली, जनपद संतकबीरनगर** द्वारा थाना महुली पर प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि दिनांक **12.08.2026 की रात्रि** में उनके भाई मो0 गुफरान खान के घर के सामने खड़ी **बुलट मोटरसाइकिल नं0 UP58X 2616** को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है।

प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना महुली पर **मु0अ0सं0 368/2026, धारा 303(2) बीएनएस** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अभियोग में **धारा 317(2), 317(4), 317(5) एवं 112 बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गई।

***गिरफ्तार अभियुक्तगण / निरुद्ध बालक का विवरण*-**

01. मदन गुप्ता पुत्र स्व0 बुद्धुराम निवासी सिकटहा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

02. आशिफ शेख पुत्र युसुफ शेख निवासी मुमताज नगर भीमण्डी थाना भीमण्डी जनपद ठाणे (महाराष्ट्र) हाल पता ग्राम मानपुर, थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

03. 01 विधि विरुद्ध कार्य करने वाला बालक।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तगण एवं विधि विरुद्ध कार्य करने वाले बालक द्वारा बताया गया कि दिनांक **12.08.2026 की रात्रि** में उन्होंने परसौना रोड, महुली स्थित एक घर के सामने खड़ी **बुलट मोटरसाइकिल नं0 UP58X 2616** चोरी कर ली थी तथा उसे मदन गुप्ता की कबाड़ की दुकान पर **25,000 रुपये में बेच दिया था।** पुलिस द्वारा अभियुक्तगण की निशानदेही पर मदन गुप्ता की कबाड़ की दुकान पर पहुंचकर पूछताछ की गई। पूछताछ में मदन गुप्ता द्वारा बताया गया कि उक्त दोनों व्यक्ति एक बुलट मोटरसाइकिल लेकर उसके पास आए थे, जिसके बदले उसने उन्हें **25,000 रुपये** दिए थे। बाद में मोटरसाइकिल चोरी की होने की जानकारी होने पर उसने उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर बेच दिया।

बरामदगी का विवरण

- **₹25,000/- नकद**
- **₹2,600/- जामा तलाशी**

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*-** उ0नि0 श्री सोमनाथ मिश्रा, उ0नि0 श्री गौतम यादव, हे0का0 आनन्द दूबे, का0 सुनील कुमार सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 10 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 467 वाहनों से 6,72,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 03.09.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 467 वाहनों से 6,72,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 720 ग्राम अवैध गांजे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा ***श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह*** के नेतृत्व में थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मु0अ0सं0 101/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त कमाल अहमद पुत्र आशिक अली निवासी छिबरा थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को भगवतपुर सोहसा तिराहे के पास से 720 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया **गया**।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण* :-**
कमाल अहमद पुत्र आशिक अली निवासी छिबरा थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर **।**
***बरामदगी *:-**
720 ग्राम अवैध गांजा।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम उ0नि0 श्री संदीप कुमार राय, का0 अमृतेश मिश्रा, का0 ओमवीर सिंह।

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के मामलें में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 6050 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 03.09.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 6050 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना विवरणः-
वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री श्याम नरायन सिंह द्वारा अभियुक्त नाम पता रवि वर्मा पुत्र रतन लाल वर्मा निवासी केशवापुर थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर के कब्जे से 03 राशि गोवंशीय पशु वध करने के नियत से ले जाते समय बरामद करते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री गोपालदास पटेल द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।
सजा विवरणः-
मु0अ0सं0 2207/2007 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त द्वारा जुर्म स्वीकार के आधार पर उक्त धाराओ में जेल में बितायी गया अवधि व 6050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभि0 द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस साधारण कारावास भुगतना होगा।

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के तहत थाना ए0 एच0 टी0 संतकबीरनगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अपहृता को किया गया बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना ए0 एच0 टी0 संतकबीरनगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 591/2023 धारा 363/366 भादवि0 से सम्बन्धित युवती को शिकरीगंज जनपद गोरखपुर से बरामद कर, परिजन को सुपुर्द करते हुए अन्य विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 02.09.2023 को थाना धनघटा पर वादिनी की नाबालिक पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना ए0 एच0 टी0 संतकबीरनगर पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए युवती को बरामद कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी करने वाले पुलिस बल का विवरण- नि0 श्री हरिनारायण दीक्षित, उ0नि0 वीरेन्द्र मिश्र, उ0नि0 सहेन्द्र यादव, म0का0 गुन्जन पाण्डेय, का0 अभिषेक सिंह।